::निर्णय::

(आज दिनांक 13 08 / 2026 को घोषित)

1– अभियुक्त / अभियुक्तगण की स्वेच्छया एवं स्पष्टतः अपराध की स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त पारस जैन को **धारा 185 मोटर यान अधिनियम** के अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त / अभियुक्तगण को अपराध परीवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

दण्डादेश या अंतिम आदेश

2– अभियुक्त को **धारा 185 मोटर यान अधिनियम** के अपराध में दोषी पाया जाकर उसे अभियुक्त को निम्नानुसार दंण्डित किया जाता है:–

क्र.	अभियुक्त का नाम	धारा एवं अधिनियम	कारावास एवं उसकी प्रकृति	अर्थदण्ड	अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में कारावास
1.	पारस जैन	**धारा 185 मोटर यान अधिनियम**	....	10,000 / – रूपये	15 दिवस

3– जप्तशुदा वाहन कार क्रमांक MP05 CM 1992 वाहन के पंजीकृत स्वामी को आवश्यक कार्यवाही उपरांत प्रदान की जावे।

4– कार्यवाही समाप्त करने की दिनांक 13/08/26

(रवि ...)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
इंदौर म.प्र.
13/08/26

<u>संक्षिप्त विचारण अंतर्गत धारा–286, 287 बी.एन.एस.एस. 2023</u>

न्यायालय श्री रवि कुमार साहू न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इन्दौर जिला–इन्दौर म.प्र.

समरी प्रकरण क्र. 37700/26 /2026

म.प्र. राज्य द्वारा थाना प्रभारी पलासिया इंदौर

अभियोगी

विरूद्ध

....

अभियुक्त

<u>अभियुक्त का नाम पैतृकता और निवास</u>

अभियुक्त– पारस जैन

पिता विकास जैन

उम्र– 23 वर्ष

निवासी– [illegible]

<u>परिवादित अपराध का विवरण</u>

1– आपने दिनांक 13/08/26 को सुबह/रात्रि समय 3:53 बजे वाहन चैकिंग के दौरान स्थान [illegible] इन्दौर, म.प्र. लोक मार्ग पर आपने आधिपत्य का वाहन क्रमांक MP09 CM 1991 को शराब के नशे में चलाया।

इस तरह तुम्हारा यह कृत्य अंतर्गत **धारा 185 मोटर यान अधिनियम** के तहत दण्डनीय अपराध होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है,क्या आप अपराध स्वीकार करते हो, अथवा विचारण चाहते हो।

(रवि कुमार साहू)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
इन्दौर म.प्र.

अभियुक्त का अभिवाक एवं परिक्षण–
अपराध स्वीकार है
Paras Jain

(रवि कुमार साहू)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
इन्दौर म.प्र.